



राजस्थान सरकार



कार्यालय ग्राम पंचायत

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है श्री पुत्र श्री
जाति उम्र ग्राम तहसील
जिलाका मूल निवासी है जो प्रार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता नियमानुसार सीमित आय, जमीन वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग होने व इनके परिवार के कोई सरकारी कर्मचारी नही होने के कारण प्रार्थी पेंशन के लिये आवेदन नही किया है और न ही प्रार्थी/प्रार्थीया का आवेदन अस्वीकार किया गया है।

उक्त प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-

1. पहचान पत्र (वोटर ID)।
2. आय प्रमाण पत्र।
3. जन आधार कार्ड।
4. आधार कार्ड।
5. पेंशन आवेदन रसीद।
6. बैंक पास बुक।
7. विधवा की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (ऑन लाईन)।
8. विकलांग की स्थिति में विकलांग प्रमाण पत्र (ऑन लाईन) 40% से अधिक।

सरपंच
ग्राम पंचायत

सचिव
ग्राम पंचायत

पटवारी
पटवार हल्का